सं.:1:05:2:(2):I
दिनांक: 23.12.2021

एडवोकेट भास्कर भट्टाचार्य
स्वतंत्र निदेशक, पीएफसी
3डी/2, डॉ. बी.एन. जोत सारानी,
हिमालय अपार्टमेंट,
पीओ और पीएस-सेरामपुर,
हुगली, कोलकाता - 712201

विषय: पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति-पत्र

महोदया,

पीएफसी के संगम ज्ञापन के अनुच्छेद 86 के अनुसरण में, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी) के बोर्ड में गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक के रूप में 23 दिसंबर, 2021 से आपकी नियुक्ति पर हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं।

यह नियुक्ति-पत्र कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार आपकी नियुक्ति को कवर करने वाले निबंधन एवं शर्तों को निर्धारित करता है। आपकी नियुक्ति शेयरधारकों के अनुमोदन के अध्यधीन है।

1. नियुक्ति:

1.1 पीएफसी के बोर्ड में गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक के रूप में आपकी नियुक्ति विद्युत मंत्रालय के दिनांक 15 नवंबर, 2021 के पत्र एफ.नं.8/1/2012-पीएफसी डेस्क (वॉल्यूम-II) के अनुसार है।

स्वतंत्र निदेशक की परिभाषा के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 और सेबी सूचीकरण विनियमों, समय-समय पर यथा संशोधित निगमित अभिशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के अंतर्गत इसकी परिभाषा का संदर्भ लें।

1.2. बोर्ड ने सांविधिक विनियमों और दिशानिर्देशों के अंतर्गत यथा अपेक्षानुसार और निर्णय लेने की प्रक्रिया के सुचारू एवं कुशल प्रवाह की सुविधा हेतु बोर्ड स्तरीय समितियों का भी गठन किया है। आपको उक्त किसी भी समिति या समय-समय पर निदेशक मंडल द्वारा गठित किसी अन्य समिति(यों) में अध्यक्ष/सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए शामिल किया जा सकता है। ऐसी समिति(यों) में आपकी नियुक्ति लागू कानून के अधीन होगी।

2. कार्य, उत्तरदायित्व और कर्तव्य

2.1. आपकी भूमिका, कार्य और कर्तव्य वही होंगे जो कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और समय-समय पर संशोधित सूचीकरण करार/सेबी सूचीकरण विनियमों के अंतर्गत स्वतंत्र निदेशक हेतु अपेक्षित हैं। आपके सुलभ संदर्भ हेतु कंपनी अधिनियम की अनुसूची IV के साथ पठित धारा 149(8) के अंतर्गत जारी स्वतंत्र निदेशकों के लिए संहिता की प्रतिलिपि **अनुलग्नक-क** के रूप में संलग्न है।

इसके अतिरिक्त, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 166 के अनुसार, आप:

i. कंपनी के संगम-ज्ञापन के अनुसार कार्य करेंगे।

ii. समग्र रूप से अपने सदस्यों के हितलाभ के लिए और कंपनी, उसके कार्मिकों, शेयरधारकों, समुदाय के सर्वोत्तम हित में और पर्यावरण की सुरक्षा हेतु कंपनी के उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिए सुचारु रूप से कार्य करेंगे।

iii. उचित और सतर्कता से ध्यानपूर्वक, कुशलतापूर्वक और परिश्रम के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे।

iv. ऐसी स्थिति में स्वयं को शामिल नहीं करेंगे जिसमें आपका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हित हो सकता है जिसमें कंपनी के हित के साथ विरोधाभास, या संभवतः विरोध उत्पन्न हो सकता है।

v. अपने या अपने संबंधियों, भागीदारों या सहयोगियों के लिए किसी भी अनुचित अभिलाभ या लाभ प्राप्त नहीं करेंगे या प्राप्त करने का प्रयास नहीं करेंगे।

vi. अपने कार्यकाल को निदेशक के रूप में नहीं सौंपेंगे और इस प्रकार किया गया कोई भी कार्य शून्य होगा।

3. पारिश्रमिक और व्यय की प्रतिपूर्ति

3.1. आपको बोर्ड और उसकी समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए बैठक शुल्क के रूप में ऐसे पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा जो बोर्ड द्वारा समय-समय पर लागू कानून के अनुपालन में तय किया जाएगा।

3.2 स्वतंत्र निदेशकों को वर्तमान में भुगतान किया जाने वाला बैठक शुल्क, बोर्ड की प्रति बैठक हेतु 40,000/- रुपए है और उसकी समिति की प्रति बैठक हेतु 30,000/- है।

3.3 बैठक शुल्क के भुगतान के अतिरिक्त, आप बोर्ड और समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए बोर्डिंग, आवास और यात्रा व्यय के लिए उन्हीं दरों पर पात्र होंगे जो कंपनी के पूर्णकालिक निदेशकों पर लागू मौजूदा प्रावधानों के अनुसार लागू हैं।

4. विरोधाभास:

4.1 यह स्वीकार्य है और माना जाता है कि कंपनी के अतिरिक्त आपके अन्य व्यावसायिक हित हो सकते हैं। अपनी नियुक्ति की एक शर्त के रूप में, आपने कंपनी को बोर्ड के लिए ऐसे निदेशक पद, नियुक्तियों और हितों की घोषणा की है। इसके बाद, यदि परिस्थितियों में कोई परिवर्तन होता है जो स्वतंत्र निदेशक के रूप में आपकी स्थिति को प्रभावित कर सकता है, तो आप कंपनी को इसकी घोषणा करेंगे।

4.2 बोर्ड की पहली बैठक में जिसमें आप स्वतंत्र निदेशक के रूप में भाग लेते हैं और उसके बाद प्रत्येक वित्तीय वर्ष में बोर्ड की पहली बैठक में या स्वतंत्र निदेशक के रूप में आपकी स्थिति प्रभावित होने पर जब भी परिस्थितियों में कोई परिवर्तन होता है, तो आपको घोषणा करनी अपेक्षित है कि आप स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करते हैं।

5. कार्यकाल समापन:

5.1 आप किसी भी समय अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं और यदि आप ऐसा करना चाहते हैं, तो आपसे अनुरोध है कि आप इस्तीफे का कारण बताते हुए विद्युत मंत्रालय और बोर्ड को लिखित रूप में उचित नोटिस दें।

5.2 स्वतंत्र निदेशक के रूप में आपकी नियुक्ति को आगे जारी रखने के लिए यह आपकी इच्छा पर निर्भर करता है, और आपको लागू कानून के अनुसार शेयरधारकों द्वारा पुनः नियुक्त किया जाता है।

6. गोपनीयता:

6.1 स्वतंत्र निदेशक के रूप में आपकी नियुक्ति और कार्यकाल के दौरान कंपनी के संबंध में आपके द्वारा प्राप्त की गई सभी जानकारी गोपनीय होती है तथा जब तक कानूनी रूप से अपेक्षित न हो, किसी तीसरे पक्षकार को इसका प्रकटीकरण नहीं किया जाना चाहिए।

6.2 निदेशक के रूप में, आप भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ("सेबी") द्वारा जारी अधिनियम और विनियमों के अंतर्गत निर्धारित इनसाइडर ट्रेडिंग और अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी के प्रकटीकरण के निमित्त निवारण और प्रतिबंधों के अधीन हैं और बाध्य हैं। आपको सेबी (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियमों (समय-समय पर यथा संशोधित या प्रतिस्थापित) के अनुसार, अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी के निष्पक्ष प्रकटीकरण हेतु पद्धति एवं प्रक्रिया की आंतरिक संहिता और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की प्रतिभूतियों में ट्रेडिंग के विनियमन, उसकी मॉनीटरिंग और रिपोर्टिंग हेतु आचार संहिता का कड़ाई से पालन करना होगा।

7. दायित्व:

7.1 लागू कानून के अध्यधीन, अपने किसी भी कर्तव्यों के उल्लंघन के लिए आप लागू कानून के अंतर्गत निर्धारित परिणामों के लिए उत्तरदायी होंगे और कंपनी के संबंध में, आप कंपनी द्वारा ऐसे अनाचरण या आचरण हेतु उत्तरदायी होंगे जो आपकी जानकारी में, बोर्ड प्रक्रियाओं के माध्यम से, और आपकी सहमति या गुप्त सहयोग से हुए थे, या जहां आपने परिश्रम से कार्य नहीं किया है।

8. विविध:

8.1. आपकी नियुक्ति अधिकतम अनुमेय निदेशन के भी अध्यधीन है, जो अधिनियम और सूचीकरण विनियमों के प्रावधानों के अनुसार सहित लागू कानून के अधीन हो सकती है।

8.2. आप कंपनी के कार्मिक नहीं होंगे और यह पत्र रोजगार की संविदा नहीं होगी।

8.3 आप सात से अधिक सूचीबद्ध एंटिटियों में स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्य नहीं करेंगे: बशर्ते कि यदि आप किसी सूचीबद्ध एंटिटी में पूर्णकालिक निदेशक के रूप में सेवा कर रहे हैं, तो आप तीन से अधिक सूचीबद्ध एंटिटियों में स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्य नहीं करेंगे।

8.4 आप दस से अधिक समितियों में सदस्य के रूप में कार्य नहीं करेंगे या उन सभी एंटिटियों में पांच से अधिक समितियों के अध्यक्ष के रूप में कार्य नहीं करेंगे जिनमें आप निदेशक हैं, जिन्हें निम्नानुसार निर्धारित किया जाएगा:

(क) उन समितियों, जिन पर निदेशक सभी सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों में सेवा दे सकते हैं, चाहे सूचीबद्ध हों या नहीं, की सीमा को शामिल किया जाएगा तथा प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों, विदेशी कंपनियों और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के अंतर्गत कंपनियों सहित अन्य सभी कंपनियों को शामिल नहीं किया जाएगा;

(ख) सीमा के निर्धारण के लिए, केवल लेखापरीक्षा समिति और स्टेकधारकों की संबंध समिति की अध्यक्षता एवं सदस्यता पर विचार किया जाएगा।

भवदीय

कृते **पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड**

(मनोहर बलवानी)

मुख्य महाप्रबंधक और कंपनी सचिव

संलग्न: यथोपरि